राज्यों के शासकीय राजपत्र
में तत्काल प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

तारीख- 7 अप्रैल, 2015

संख्या 576/3/ई.वी.एम./2015/एस.डी.आर/खण्ड-I:- यत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकॉर्ड किए जांएगें जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे; तथा

2. यत: आयोग ने **महाराष्ट्र में 176-वान्द्रे पूर्व एवं 287-तासगांव-कवठे महांकाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, पंजाब में 107-धूरी विधान सभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में 231-चरखारी विधान सभा क्षेत्र तथा उत्तराखण्ड में 28-भगवानपुर (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र** की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध है, तथा मतदान कर्मचारी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित है।

3. अत:, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा **महाराष्ट्र में 176-वान्द्रे पूर्व एवं 287-तासगांव-कवठे महांकाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, पंजाब में 107-धूरी विधान सभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में 231-चरखारी विधान सभा क्षेत्र तथा उत्तराखण्ड में 28-भगवानपुर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रुप में उल्लिखित करता है, जिसमें 17-03-2015(मंगलवार) को उक्त राज्यों में अधिसूचित किए गए विधान सभा के वर्तमान उप-निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जांएगें तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए है।

आदेश से,

(के.एफ.विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव